सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या- 629 राँची, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-09/2021-95—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-**16/12/2021** को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021
(झारखण्ड अधिनियम संख्या-13, 2021)

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम- 06, 2001) का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के 72वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

(1) यह अधिनियम झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2012) या केन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं ।

(3) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 का संशोधन। - (1) मूल अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (4) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:-

''(4) यदि उपधारा (3) में वर्णित अवधि की समाप्ति के पूर्व, ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उस पंचायत के संबंध में, छः मास से अनाधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।''

(2) मूल अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (4) के बाद एक नई उपधारा (5) निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी:-

''(5) महामारी जिसमें ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस ग्राम पंचायत या उन ग्राम पंचायतों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी।''

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (4) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:-

''(4) उपधारा (3) में विहित अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत समिति पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त अवधि के समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उसके संबंध में छः मास से अनाधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर पंचायत समिति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।''

(2) मूल अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (4) के बाद एक नई उपधारा (5) निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी:

''(5) महामारी जिसमें पंचायत समिति या पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस पंचायत समिति या उन पंचायत समितियों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी ।''

4. मूल अधिनियम की धारा 57 का संशोधन: (1) मूल अधिनियम की धारा 57 की उप धारा (4) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:

''(4) उपधारा (3) में विहित अवधि की समाप्ति के पूर्व जिला परिषद् पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उसके संबंध में छः माह से अनाधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।''

(2) मूल अधिनियम की धारा 57 की उप धारा (4) के बाद एक नई उपधारा (5) निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी:

''(5) महामारी जिसमें जिला परिषद या जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस जिला परिषद् या उन जिला परिषदों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी ।''

5. मूल अधिनियम की धारा 107 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 107 की उप धारा (5) के बाद एक नई उपधारा (6) निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी:

''(6) महामारी जिसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् के पुनर्गठन के लिए आम निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) की उपधारा (3) (ख) (ग) एवं उपधारा (4) के उपबंध उस ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी । ''

6. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ:- झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए निर्गत आदेश, अधिसूचनाएं एवं अन्य कोई भी कार्यवाही या अन्य कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था, अथवा कार्रवाई की गयी थी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-09/2021-96—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-**16/12/2021** को अनुमत **झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021
(Jharkhand Act - 13, 2021)

An Act, to amend the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Jharkhand Act 06, 2001)

Be it enacted by the legislature of Jharkhand in the Seventy second years of the Republic of India as follows-

1. Short title, extent and commencement-

   (1) This Act may be called the Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021

   (2) It shall extend to whole of the State of Jharkhand excepting the areas to which the provisions of the Jharkhand Municipal Act, 2011 (Jharkhand Act No. 7 of 2012) or Cantonment Act, 1924, (Act II of 1924) apply.

   (3) It shall come into force from date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Section 24 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001) (hereinafter referred as the Principal Act) - (1) sub-section (4) of Section 24 of the Principal Act shall be substituted as follows :-

   "(4) If the Gram Panchayat is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Panchayat for a term not exceeding six months within which the Gram Panchayat shall be reconstituted according to the provisions of this Act."

   (2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 24 of the Principal Act as Follows:-

   "(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Gram Panchayat or Gram Panchayats, citing proper causes the State Government may take decision to enforce provisions of section (107) for that Gram Panchayat or those Gram Panchayats for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election"

3. Amendment of Section 42 of the Principal Act- (1) sub-section (4) of Section 42 of the Principal Act as shall be substituted as follows :-

"(4) If the Panchayat Samiti is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Panchayat Samiti for a term not exceeding six months within which the Panchayat Samiti shall be reconstituted according to the provisions of this Act."

(2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 42 of the Principal Act as Follows:-

"(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Panchayat Samiti or Panchayat Samities, citing proper causes the State Government may take decision to enforce provisions of section (107) for that Panchayat Samiti or those Panchayat Samities for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election"

4. Amendment of Section 57 of the Principal Act- (1) sub-section (4) of Section 57 of the Principal Act as shall be substituted as follows :-

"(4) If the Zila Parishad is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Zila Parishad for a term not exceeding six months within which the Zila Parishad shall be reconstituted according to the provisions of this Act."

(2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 57 of the Principal Act as Follows:-

"(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Zila Parishad or Zila Parishads, citing proper causes State Government may take decision to enforce provisions of section (107) for that Zila Parishad or those Zila Parishads for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election"

5. Amendment of Section 107 of the Principal Act - A new sub-section (6) shall be inserted after sub-section (5) of Section 107 of the Principal Act as follows :-

"(6) If due to pandemic, it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, citing proper causes the State Government may take decision to enforce provisions of sub section (3) (b) (c) and sub section (4) of section (107) for that Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election "

6. **Repeal and Saving: -** Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed. Notwithstanding such repeal, all rules, orders and notifications published, proceedings and any other action taken in the exercise of powers conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of power conferred by or under this Act, as if, this Act was in force on the day on which such thing were done or action taken.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 629 -- 50